मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक-डीजी-16-सो0मी0 निर्देश/2025 दिनांकः मई 15,2026

NR129

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
पुलिस विभाग,
उत्तर प्रदेश।

विषय: उत्तर प्रदेश पुलिस की सोशल मीडिया पॉलिसी-2023 के निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय/ महोदया,

कृपया अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग हेतु डीजी परिपत्र संख्या–05/2023, दिनांक 08 फरवरी 2023 के माध्यम से सोशल मीडिया पॉलिसी–2023 जारी की गई है। किंतु यह देखने में आ रहा है कि कई सेवारत एवं प्रशिक्षु पुलिस कार्मिकों द्वारा उक्त सोशल मीडिया पॉलिसी का उल्लंघन करते हुए सोशल मीडिया पर रील इत्यादि के माध्यम से आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट की जा रही है, जिससे न केवल शासकीय कार्य प्रभावित हो रहा है, अपितु उत्तर प्रदेश पुलिस की गरिमा एवं छवि भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही है।

2- अतः निर्देशानुसार आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि अपने-अपने अधीनस्थ जनपदों एवं इकाइयों के अंतर्गत सोशल मीडिया पॉलिसी-2023 का उल्लंघन करने वाले पुलिस कार्मिकों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध तत्काल आवश्यक विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

3- इसके अतिरिक्त प्रत्येक माह संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार सोशल मीडिया पॉलिसी – 2023 का उल्लंघन करने वाले पुलिस कार्मिकों के विरूद्ध कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को सूचित करते हुए उक्त पोस्ट मय URL सहित अपने पास अभिलेखार्थ सुरक्षित भी रखेंगे।

4- यह पत्र पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० महोदय के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक: यथोपरि।

15/5/26

(अमिताभ यश)
अपर पुलिस महानिदेशक,
कानून एवं व्यवस्था,
उत्तर प्रदेश।

Twitter/@aapka_vineet